†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

> "कि खान अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री नन्दा** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

राज भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री गो० ब० पन्त द्वारा २ सितम्बर, १९५९ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करेगी :—

> "कि यह सभा राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर, जो २२ अप्रैल, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था विचार करती है ।"

माननीय प्रधान मंत्री

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने पुरानी परम्परा को तोड़ करके कल हिन्दी भाषा में भाषण किये हैं। मैं प्रधान मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आज तो वह भी हिन्दुस्तानी में भाषण दें ।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दुस्तानी वह जानते हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी : अच्छी तरह से जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आज कोई परीक्षा तो नहीं है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अध्यक्ष महोदय, मुश्किल यह है कि जिनको समझाना चाहते हैं हमारे मित्र, उनके कान तक आवाज न पहुंचे और दिमाग में न आये, तो समझा नहीं सकते हैं ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : यदि माननीय प्रधान मंत्री हिन्दी में बोलेंगे तो हम समझ नहीं पायेंगे ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : दोनों भाषाओं में बोलिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** श्रीमान् , अभी कुछ समय पूर्व हम लोगों ने कुछ साधारण से भावावेश का अनुभव किया, अतः भाषा सम्बन्धी वाद-विवाद के लिये उपयुक्त शांत वातावरण का निर्माण तनिक कठिन ही होगा। संभवतया भाषा सम्बन्धी यह वाद-विवाद उतना गंभीर एवं शांत तो नहीं रहा जितना कि इसे होना चाहिये था और इसमें आवेश और उत्तेजना का प्रदर्शन भी हुआ है, फिर भी इस वाद-विवाद के दौरान—इस महत्वपूर्ण प्रश्न

---

†मूल अंग्रेजी में

पर विचार विमर्श के दौरान--मेरे मस्तिष्क में एक अस्पष्ट सी धारणा रही है कि यह वाद-विवाद तनिक पुराना पड़ गया है या यह कि इस प्रकार का वाद-विवाद शीघ्र ही अनुपयोगी बन जायेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कारण यह है कि यह सारी पहुंच, यह सारा दृष्टिकोण भारत की स्थिर व्यवस्था के विचार पर आधारित है, मानों भारत ज्यों का त्यों हो; उसमें कोई परिवर्तन न आ रहा हो या वह प्रगति न कर रहा हो। आज भारत में क्या हो रहा है? एक नयी दुनिया का विकास हो रहा है। हमारे समाज में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है हां, यह हो सकता है कि हममें से बहुत से इस परिवर्तन को भली भांति महसूस न कर पाते हों। यह परिवर्तन दो तरीकों से हो रहा है और ये दोनों तरीके ऐसे हैं; जो भाषा के प्रश्न पर इस सभा के निर्णय से भी अधिक गहरा प्रभाव डालेंगे। दूसरे शब्दों में, इस सभा के निर्णय इन शक्तियों द्वारा प्रभावित होंगे।

ये शक्तियां कौन कौन सी हैं? पहली शक्ति तो स्पष्टतया वह शक्ति है जिसे आप प्रजातंत्र का विकास, शिक्षा की प्रगति कह सकते हैं--आप देखते हैं देश की जनता बड़े पैमाने पर राजनीतिक निर्णय करने में सतर्क होती जाती है। चाहे ये लोग चुनावों द्वारा अथवा ये प्रभाव डालें, इनमें से अधिकांश लोग विदेशी भाषा से अनभिज्ञ ही हैं। यह जीवन का एक तथ्य है। इस पर बहस नहीं कीं जा सकती। जैसे जैसे वे आते जायेंगे, दृश्य बदलते रहेंगे। चाहे परिवर्तन अच्छे हों या बुरे यह अलग बात है। इस पर अलग अलग रायें हो सकती हैं। हम जो लोग यहां बैठे हैं, इनमें से अधिकांश लोगों की शिक्षा, उनका पठन पाठन अंग्रेज़ी के माध्यम से हुआ है। यह जाहिर है कि यही बात अब भारत में नहीं चल रही और भविष्य में तो और भी कम होती जायगी; अतः इस चर्चा की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि ही बदलती जा रही है।

दूसरी बात, जिसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, यह है कि भावी भारत का स्वरूप वैज्ञानिक टेक्नोलाजिकल तथा औद्योगिक होगा। आज हम पंचवर्षीय योजनाओं की बातें करते हैं; अलग अलग परियोजनाओं के बारे में सोच विचार करते हैं; लेकिन अगर आप सारी तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि भारत में पूर्ण रूप से एक नया संसार जन्म ले रहा है। आज भारत में औद्योगिक क्रान्ति आ रही है; यद्यपि बीसवीं शताब्दी में यह क्रान्ति अपेक्षतया विलम्ब से आ रही है, फिर भी हम अन्य देशों के साथ बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं।

किन्तु इन सब बातों का भाषा के साथ क्या सम्बन्ध है? मैं समझता हूं इसका भाषा से पूरा पूरा सम्बन्ध है। वस्तुतः भाषा के बारे में हमारे विचार संकुचित हो गये हैं। हम उसी चीज़ को भाषा कहते हैं जो फाइलों में लिखी जाय या पाठशालाओं में पढ़ाई जाय या मुशायरों अथवा कवि सम्मेलनों में प्रयुक्त हो। मैं मानता हूं कि वह भी भाषा ही होती है, परन्तु भाषा तो इन सब से कहीं अधिक व्यापक चीज़ है; यह एक बुनियादी चीज़ है जो लोगों को सांचे में ढालती है; और इसने लोगों के काम और धन्धों को सांचे में ढाला है। यदि औद्योगिक क्रान्ति इस देश में आती है जैसा कि वह आ रही है और अवश्य आयेगी--तो इससे हमारे जीवन की प्रणाली ही बदल जायगी; हमारी विचार धारा में परिवर्तन आ जायेगा; नये धंधों के सम्बंध में इतने नवीन शब्द हमारी भाषा में आ जायेंगे कि उस स्थिति को डा० रघुवीर तथा सेठ गोविन्द दास, कितनी भी कोशिश कर लें, काबू में नहीं कर सकेंगे। वे चाहे कितने बड़े बड़े कृत्रिम शब्दों से भरे कोष बना डालें, उनको कोई स्वीकर नहीं करेगा--आप निश्चय जानें-- क्योंकि विज्ञान और टेक्नालाजी की भाषा का निर्माण किसी क्लास के कमरे में या अनुवादक मंडल में न होगा, बल्कि इसका प्रवाह काम करने वाले लोगों के प्रयोग से जारी होगा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ये हैं वे दो शक्तियां, जो भाषा पर प्रभाव डालेंगी क्योंकि हमारे समूचे जीवन पर ही प्रभाव डालती हैं ; और जो निर्णय आप करेंगे वह इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होगा ; आपका संकल्प कोई अधिक महत्व न रखेगा। मैं इस प्रश्न पर इसी पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखते हुये विचार करता हूं और मेरी यही इच्छा है कि सभा भी इसी बात को दृष्टि में रख कर इस समस्या पर सोचे। हमारी इस सभा में यद्यपि योग्य एवं अनुभवी सदस्य हैं, तथापि हम लोग वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिकल तथा औद्योगिक जगत का प्रतिनिधित्व नहीं करते ; "औद्योगिक" से मेरा अभिप्राय उद्योगों के स्वामित्व से न होकर, इनके इंजीनियरिंग पहलू से है।

हम एक नये युग में पदार्पण कर रहे हैं और यह क्रान्ति बढ़ी चली आ रही है। वह क्रान्ति जैसा कि दूसरे देशों पर उसका प्रभाव पड़ा है, भाषा पर अत्याधिक प्रभाव डालती है; टेक्नीलॉजी और विज्ञान के हज़ारों नये नये शब्द प्रत्येक वर्ष भाषा में आते जा रहे हैं ; और वह लोग जो अनुवाद विभाग आदि स्थापित करने की सलाह देते हैं, वे उन शब्दों के सही अर्थों से अपरिचित हैं। यह बात याद रखनी चाहिये कि उन वैज्ञानिक शब्दों का अनुवाद इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता जिनका विकास विशेष परिस्थितियों और विशेष संदर्भों में हुआ है ; यह काम ऐसे ही नहीं हो सकता, जैसे किसी मशीन से आप कोई शब्द बनाने लगें।

इतना कह लेने के पश्चात् अब मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समिति ने, जिसके सभापति मेरे साथी गृह मंत्री महोदय थे, बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं यह दिखावा नहीं कर सकता कि मुझे उनकी प्रत्येक बात से सहमति है और न मैं ऐसा चाहता हूं कि सब उससे पूर्णतया सहमत हो जायं। आखिरकार यह बड़ी भारी सामस्या थी; विभिन्न विचार धाराओं के लोग उस समिति में थे किन्तु सभी सहमत रहे—यह अलग बात है कि एक आध व्यक्ति की राय अलग रही हो। इस प्रकार का एकमत लाना निस्संदेह बड़ी बात है। यह तो बात है ही कि जब आप कोई समझौता करना चाहते हैं तो आपको कुछ तो दूसरे की माननी पड़ती है और कुछ अपनी मनवानी पड़ती है। किन्तु तब भी यह काम बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है और मैं समझता हूं कि गृह मंत्री के अतिरिक्त ऐसी सफलता शायद ही कोई अन्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता था। अतः मैं कह सकता हूं कि समस्ततया यह प्रतिवेदन बड़ा ही उपयोगी है।

अभी कुछ सप्ताह पूर्व मैंने श्री एन्थनी के संकल्प पर अपने विचार प्रकट किये थे, मेरी बातें श्री एन्थनी को भी अच्छी लगीं और दूसरों को भी। मैंने उस समय जो कहा था उसी पर अब भी कायम हूं—लेकिन मैं कोई कानून नहीं बना रहा था। मैं उस समय समस्या सम्बन्धी दृष्टिकोण पर ही ज़ोर दे रहा था। मेरा यह आशय नहीं था कि विधेयक आदि में अमुक शब्द हों या न, बल्कि मैं यह बता रहा था कि इस समस्या के बारे में हमारा मानसिक दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिये।

अब आप तथ्यों पर विचार करें। हमारी इच्छाओं के अतिरिक्त भी, आज का बुनियादी तथ्य यह है कि शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषायें अर्थातभारत की महान भाषायें, तामिल, तेलगू, मराठी, गुजराती, हिन्दी इत्यादि बनती जा रही हैं। यह एक बुनियादी सचाई है। इस प्रकार क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा पाने वाली पीढ़ी' उस पीढी से बिल्कुल अलग होगी जिससे मैं सम्बन्ध रखता हूं। उनकी शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम से न हो कर भारतीय भाषाओं में हो रही है। उन लोगों को छोड़ कर, जो अंग्रेज़ी को अपनी मातृभाषा समझते हैं, शेष के लिये तो यह एक महान परिवर्तन है।

मैं हिन्दी-अंग्रेजी आदि के बारे में दलीलों का महत्व या उनके औचित्य ही को नहीं समझ पाता। एक बार जब इस बुनियादी तथ्य को ठीक से समझ लें कि आधुनिक शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से हो रही है, तो आप उस महान परिवर्तन को ठीक से समझ पायेंगे जो हमारे देश में हो रहा है। यह अलग बात है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। यह परिवर्तन अनिवार्य है और मैं समझता हूं कि यह ठीक भी है—भले ही इसमें थोड़ी जोखिम भी हो। जोखिम से मेरा आशय पृथकत्व की प्रवृत्तियों केपनपने से है। मैं इस बात को महसूस करता हूं, किन्तु आप एक समस्या को अछूता छोड़ कर तो खतरों का खातमा नहीं कर सकते ; आपको खतरों का सामना तो करना पड़ेगा।

पहली बात यही है और यही मुख्य बात भारत में अंग्रेजी की स्थिति पर प्रभाव डालती है। मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि यह हिन्दी-अंग्रेजी का प्रश्न नहीं यह तो १४ क्षेत्रीय भाषाओं की समस्या है, क्योंकि उनके माध्यम से ही आज शिक्षा दी जा रही है। यही स्थिति हमारे जमाने और आज के युग में एक बड़ा अन्तर पैदा करती है। हम लोगों की शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से हुई है। यह एक बुनियादी सचाई है।

अतः अनिवार्य रूप से, भारत में अंग्रेजी दूसरे दर्जे पर आ जाती है। अब यह आरंभिक माध्यम नहीं रह गयी है। यही तथ्य है। सभा यह तो जानती है कि मैं अंग्रेजी को कितना महत्व देता हूं और अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा भी, किन्तु अब तथ्य यह है कि अंग्रेजी का महत्व गौण हो गया है। यह शिक्षा का माध्यम नहीं रह गयी है। यह हो सकता है कि कुछ लोग इस भाषा का अनिवार्य गौण भाषा के रूप में अध्ययन करें, परन्तु माध्यम न रहने के कारण वह महत्व तो इसका नहीं रह जाता जो पहले था।

दूसरी बात यह है कि हमें एक समान भाषा की कड़ी की भी आवश्यकता है और संविधान में कहा गया है कि वह समान राजभाषा की कड़ी हिन्दी होनी चाहिये। स्मरण रखिये कि इसका प्रयोग राज्यों के सरकारी काम के सिलसिले में आपसी पत्र व्यवहार में होना है। संविधान के निर्णय के होते हुये भी जैसा कि आपने देखा, अंग्रेजी की स्थिति धीरे धीरे नीची होगी; उसकी स्थिति एक दूसरे तरीके से ऊपर भी उठेगी। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। यदि आप इस पहले तथ्य को ध्यान में रखें तो यह दलील कि अंग्रेजी ही राजभाषा रहे, बड़ी निर्बल हो जाती है। आज आप अंग्रेजी के पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। वस्तुतः हम अपना अधिकतर काम भी अंग्रेजी में करते हैं, और किसी आदेश के तहत इसे नहीं बदला जा सकता। किन्तु कल को यह बात न रहेगी जो आज है और परसों तो और भी ज्यादा तब्दीली आ जायेगी। ये हैं तथ्य। आप इनकी अवहेलना नहीं कर सकते—चाहे आप इन्हें पसंद करें या न करें।

अतः आपको भारत की अनेक भाषाओं को एक कड़ी में बांधने के लिये एक समान बंधन की आवश्यकता पड़ेगी। आप हिन्दी की आलोचना कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इस भाषा का विकास नहीं हुआ, यह अच्छी नहीं है—खैर जैसी भी है आपके सामने। चलो, एक क्षण को हम आपकी बात मानते हैं; लेकिन तथ्य तो यही है कि सिवाय हिन्दी के और कोई भी भारतीय भाषा इस प्रयोजन के उपयुक्त नहीं है। मेरा यह आशय नहीं कि हिन्दी देश की अन्य भाषाओं से अच्छी है; वस्तुतः मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भारत की कुछ दूसरी भाषाओं में हिन्दी से ज्यादा अच्छा साहित्य वर्तमान हैं, वे ज्यादा समृद्ध हैं। किन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि सभी भाषाओं को उन्नति करना है और एक दूसरे को भी समृद्ध करना है।

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

हिन्दी के प्रति जो विरोध है, उसका वास्तविक कारण कुछ लोगों का यह डर है कि हिन्दी लागू हो जाने से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये असमता हो जायेगी और वे नुक़सान में रहेंगे। इसमें शक नही कि असमता तो होगी ही। किन्तु हमें उसका सामना करना है। हम इस तरह कह कर अलग नहीं हो सकते कि क्या बात है इसे तो पन्द्रह दिन या एक महीने में ही सीखा जा सकता है। काफी समय तक अंतर रहेगा। इसके लिये हमें नियम बना देना चाहिये कि इतने समय तक सेवाओं तथा अन्य मामलों में ऐसी कोई बात नहीं की जायेगी जिससे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये कोई असमता पैदा हो। हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय कर लेना चाहिये।

†**श्री महंती** (ढेकानल) : क्या आप 'कोटा प्रणाली" सम्बन्धी सिफारिश को मानेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे खेद है कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता, इसलिये मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं। आप सेवाओं के मामले को लें। मैं तो स्पष्ट हूं कि अभी काफी समय तक यह अनिवार्य शर्त नहीं रखी जा सकती कि, अगर किसी को हिन्दी का ज्ञान हो तो उसे नौकरी में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि एक व्यक्ति हिन्दी का एक शब्द भी नहीं जानता तब भी उसे उस स्तर तक पहुंचने योग्य होना चाहिये। किन्तु नौकरी के बाद हिन्दी सीखेगा। मेरी तो यह इच्छा है कि वह पहले भी हिन्दी सीखे। मेरा आशय तो यह है कि किसी को यह न समझना चाहिये कि किसी के प्रति असमता का व्यवहार होगा। श्री फ्रेंक एंथनी ने कहा कि "प्रधान मंत्री ने कहा है कि भाषा किसी पर लादी नहीं जायगी अत: सेवाओं में आने के बाद भी हिन्दी में अनिवार्य परीक्षा नहीं होनी चाहिये।" मैं तो नहीं समझता कि यह मतलब मेरी बातों से निकलता हो। यह हिन्दी की अनिवार्य परीक्षा का प्रश्न नहीं है। हम अंग्रेज़ी की परीक्षा भी रख सकते हैं। क्या आप इस पर आपत्ति करेंगे ? मैं समझता हूं जो व्यक्ति भी अखिल भारतीय सेवाओं में आयेगा उसे अंग्रेजी को एक अनिवार्य परीक्षा पास करनी चाहिये। क्या श्री एंथनी इस बात पर आपत्ति करेंगे ? शायद नहीं। मैं तो व्यापक ज्ञान चाहता हूं।

मान लीजिये कोई कर्मचारी मद्रास जाता है। मैं तो यही चाहूंगा कि वह तामिल की परीक्षा पास करे। ये चीजें तो प्रशासकीय सुविधाओं के लिये सामान्यतया की जाती हैं। जो व्यक्ति जहां काम करता है, उसे उस स्थान की भाषा का ज्ञान होना चाहिये। हम लोगों को दूसरे देशों में भेजते हैं और जिनको भेजा जाता है उन्हें विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को दो, दो, तीन-तीन तक भाषायें लेनी पड़ती हैं। इस लिये आप इसे भाषा का लादना न कहें। हिन्दी न लादने से मेरा अभिप्राय यह था कि चाहे कोई भी राज्य हो, मद्रास हो, आंध्र या केरल हो, मैं वहां भाषा को उस प्रकार लागू करना नहीं चाहूंगा जिसे वे उसे लादना समझें। यदि वे ये समझेंगे कि उन पर दबाव पड़ा है, तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी। मैं यह नहीं चाहता। यदि मद्रास वाले यह कहें कि वे स्कूलों मे हिन्दी को अनिवार्य नहीं बनाना चाहते तो न बनायें। सच तो यह है कि वहां के लोग अपने आप हिन्दी को बड़ी तेजी से पढ़ते जा रहेहैं। इसलिये मैं दबाव की भावना को दूर करना चाहता हूं। उन्हें यह विचार भी अपने मन से निकाल देना चाहिये कि इससे उन्हें सेवाओं में किसी प्रकार का नुकसान उठाना होगा। मैं चाहता हूं कि ये सब बातें सहयोग से तय हों और हम उपयुक्त समय पर अपने को हालात के अनुसार ढालते रहें।

इस मामले में हमें कठोरता का पालन नहीं करना; हमें अपना दृष्टिकोण उदार रखना होगा। मैं तारीखों आदि के निर्धारण को पसंद नहीं करता।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने कहा था कि अंग्रेजी एक सहकारी या अतिरिक्त भाषा की हैसियत से रहनी चाहिये। इससे मेरा क्या अभिप्राय है? उसका स्पष्ट मतलब ही यह है कि भविष्य में अंग्रेजी भारत की प्रधान भाषा कदापि नहीं रह सकती—केवल दूसरे दर्जे की भाषा ही रह पायेगी। भविष्य में शिक्षा का माध्यम हमारी क्षेत्रीय भाषायें ही रहेंगी। अंग्रेजी, मैं आशा करता हूं, अनिवार्यतः पढ़ाई जायेगी; प्रत्येक को तो नहीं वरन् बहुत से लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जायगी। किन्तु, सुविधा के अनुसार, हिन्दी भी अधिकाधिक प्रयुक्त होती रहेगी—अन्तर्राज्यीय पत्र व्यवहार और कारोबार में। किन्तु अंग्रेजी का भी स्थान रहेगा; सीमित नहीं—अर्थात् कोई राज्य अन्तर्राज्यीय कारोबार के लिये अंग्रेजी का प्रयोग भी कर सकेंगे। किन्तु याद रखिये राज्यों का आंतरिक काम राज्य की भाषा में होगा। अंग्रेजी तो अन्तर्राज्यीय कार्य के क्षेत्र में आयेगी। हम राज्यों को अन्तर्राज्यीय काम हिन्दी में करने के लिये उत्साहित करते हैं किन्तु ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। समय की भी कोई सीमा नहीं—जब सब लोग सहमत हों तो हिन्दी में काम हो। कहने का आशय यह है कि इस से अहिन्दी भाषी राज्यों के लोगों को सहमत होना चाहिये।

मैं सभा से और विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी के प्रचार के लिये कई शक्तियां काम कर रही हैं—हिन्दी उत्तरोत्तर समृद्ध होती जा रही है—किन्तु उनके मार्ग में यह बाधा आ सकती है कि वे हिन्दी के लिये कभी कभी आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखाते हैं जिससे दूसरों को बड़ी उलझन होती है इससे मुझे तो बड़ी उलझन होती है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों के बारे में मैं नहीं जानता।

दूसरी बात यह है कि जो हिन्दी वे बना रहे हैं, वह बड़ी असाधारण है। इसे देख कर बड़ी उलझन होती है। भारत में जिस हिन्दी का प्रयोग होगा वह जनता की भाषा होगी; साहित्य के पंडित इसका विकास नहीं कर सकते।

कल आचार्य कृपालानी, मद्रासी अंग्रेजी, बंगाली अंग्रेजी या बम्बइया अंग्रेजी की बात कर रहे थे—वह ठीक है। किन्तु आज हमारे यहां बंगाली हिन्दी, मद्रासी हिन्दी भी तो जन्म ले रही है। मुझे उसे सुन कर बुरा लगता है लेकिन क्या किया जाये! लेकिन जिस तरह बंगाली हिन्दी आदि है इसी तरह से सेठ गोविन्द दास और डा० रघुवीर की हिन्दी है। सवाल यह है कि हम किस प्रकार की हिन्दी को अपनायेंगे? इस तरह का काम— हिन्दी में शब्दों का अनुवाद किये चले जाना—कृत्रिम, अवास्तविक, व्यर्थ और हास्यास्पद है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मस्तिष्क एक तरह से जकड़ जायगा, उसका विकास अवरुद्ध हो जायेगा और फिर आप उस स्थिति से नहीं निकल पायेंगे।

जहां तक अंग्रेजी का सवाल है—यह एक सहकारी अतिरिक्त भाषा के रूप में रहेगी अर्थात् जो चाहे उसका प्रयोग कर सकेगा। यद्यपि हिन्दी ही हमारी राजभाषा है—अंग्रेजी का प्रयोग भी होगा; किन्तु मैं आशा करता हूं कि इसका प्रयोग कम होता जायगा। इस में थोड़ा समय लगे या ज्यादा, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

अंग्रेजी का एक दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है; अर्थात् उस भाषा की टेक्निकल और वैज्ञानक शब्दावलि। अंग्रेजी, फ़्रांसीसी तथा जर्मन भाषाओं की शब्दावलियों में थोड़ा सा अन्तर है; किन्तु बहुत से वैज्ञानिक और टेक्निकल शब्द अन्तर्राष्ट्रीय शब्द बन गये हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि हिन्दी में ही नहीं भारत की समस्त भाषाओं में वैज्ञानिक शब्द एक समान हों। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक शब्द ज्यों का त्यों रखा जाय; मैं यह भी नहीं चाहता कि अच्छी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तरह से जाने पहिचाने शब्दों को अस्वीकार कर दिया जाय। प्रचलित शब्द—चाहे वह हिन्दी के हों या तामिल के—अपना लिये जायें। किन्तु यह प्रचलित शब्दों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो वस्तुतः भाषा के उस विशाल सागर का है जो नित्य बढ़ रहा है—उस टेक्निकल भाषा का है जिसमें विकास होता जा रहा है। उनका अनुवाद नहीं किया जा सकता; यदि आप कर भी डालें तो आप गलती करेंगे, क्योंकि इस तरह से आप शेष दुनिया से अलग हो जायेंगे।

आधुनिक संसार में ज्ञान के समान पहलुओं को अपनाना अत्यावश्यक है। हमें अपनी साहित्यिक भाषा में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है और न ही ऐसा करना चाहिये। उसका विकास हुआ है और होता रहेगा। किन्तु जहां तक इस अपरिचित, अज्ञात क्षेत्र का सम्बन्ध है—अर्थात् वैज्ञानिक और टेक्नीकल क्षेत्र का—उसके बारे में हमें समान भाषा का विकास करना चाहिये जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये भी समान हो।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : यूरोपीय भाषाओं का भंडार ग्रीक भाषा है। यहां क्या है ?

†**एक माननीय सदस्य :** संस्कृत।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं नहीं—मैं नहीं कहता संस्कृत है या कोई और। यह ठीक है कि बहुत से शब्द जैसे "आक्सीजन" शब्द ग्रीक या लेटिन से लिये गये; किन्तु आपको इन शब्दों को अपनाना है मैं यह नहीं कहता हर एक शब्द को अपनाना है। एक साधारण आदमी आपको यह कभी न पूछेगा कि वह बाइसिकिल को क्या कहे ? वह इसे बाइसिकिल ही कहेगा। किन्तु लखनऊ में कुछ महानुभाव हैं जो कहते हैं कि इसे "द्विचक्री" कहा जाय। "द्विचक्री" बड़ा सुन्दर अनुवाद है। इस तरह से आप कई चीजों का अनुवाद कर सकते हैं किन्तु 'बाइसिकिल' कहने मात्र से ही प्रत्येक ग्रामीण समझ जायगा कि वह क्या चीज़ होती है। आप कहते रहे कि नहीं 'बाइसिकिल' तो विदेशी भाषा का शब्द है। हो, लेकिन यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है।

यह बड़े महत्व का विषय है। उन असंख्य टेक्निकल शब्दों को उनके अन्तर्राष्ट्रीय रूप में ही खपाने से लाभ है। चाहे वे लेटिन के हों या ग्रीक के, इससे हमें आपत्ति न होनी चाहिये। इन शब्दों को आप दिखलावे के तौर पर तो प्रयुक्त नहीं करते। आपको ज्ञान की आवश्यकता है; आप औद्योगिक प्रगति करना चाहते हैं; टेक्निकल और वैज्ञानिक दृष्टि से आप आगे बढ़ना चाहते हैं—इसी के साथ आप शीघ्र ही बढ़ना चाहते हैं—इस कारण आवश्यक है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा न आये।

मुझे अंकों के बारे में फिर से कहने की आवश्यकता नहीं है। यह अनिवार्य है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें। लिखने में हम किसी भी अलंकारिक ढंग का प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु व्यापार, टेक्नीलॉजी तथा विज्ञान के क्षेत्र में समूचे भारतवर्ष के अन्दर हमें अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करना चाहिये। मैं दूसरे अंकों के प्रयोग को गलत या बुरा नहीं मानता किन्तु उचित यही होगा कि हम विज्ञान तथा सांख्यकी आदि में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें ताकि इस क्षेत्र में हम सब के बराबर रहें और सब के साथ चलें। उपन्यासों में किसी भी प्रकार के

†मूल अंग्रेजी में

अंक लिखे जा सकते हैं। आप रूसी, जर्मनी या अन्य किसी भाषा की पुस्तक उठालें, भाषा आप भले ही न समझें, अंकों को जरूर समझ जायंगे। इस प्रकार आप सभी देशों के आंकड़े से लाभ उठा सकते हैं। जापान में यही अंक माने गये हैं। सभी स्थानों पर इन्हें माना गया है। यदि आप अपने आंकड़े उन अंकों में रखेंगे तो दुनियां उन्हें देखेगी। यदि आप एक विशेष प्रकार के अंक अपनायेंगे तो आप शेष दुनियां से पृथक् हो जायेंगे।

निस्संदेह भाषा का अत्यधिक महत्व है। किन्तु इसके पीछे बड़े गहन तत्व हैं। इसके साथ क्रिया और प्रतिक्रिया का तत्व संलग्न है। एक तो अतीत का आकर्षण है और दूसरे है, भविष्य का आकर्षण। भविष्य के आकर्षण का तात्पर्य है, आधुनिक वैज्ञानिक संसार का प्रभाव। परन्तु यह भी ठीक नहीं कि हम अतीत के प्रभाव की अवहेलना कर दें। यह नहीं हो सकता। आखिर हम भारत के ५००० वर्ष प्राचीन इतिहास की तो नहीं भूल सकते।

एक दो दिन पहले मैंने संस्कृत की बड़ी प्रशंसा की थी। मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति और विचारधारा की महत्ता को यदि कहीं देखा जा सकता है तो वह संस्कृत भाषा में देखा जा सकता है। यह ठीक है कि आज हम संस्कृत नहीं बोलते किन्तु भारत की भाषायें उसी से निकली हैं; दक्षिण की भाषाओं का भी उससे घनिष्ट संबन्ध है। समस्त प्रान्तों की संस्कृति तथा विचारधारा की पृष्ठ भूमि—चाहे वह तमिल, तेलेगु या मलयालम हो, उत्तरी भारत की संस्कृति तथा सभ्यता की पृष्ठ भूमि परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है—और यह संबन्ध संस्कृत ही के कारण है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें सब कुछ अच्छा ही है। हमें इसके दोषों को नहीं अपनाना—हमें इसमें समुचित परिवर्तन करने होंगे। किन्तु भारत के विकास की जड़ें इसी में हैं। इन जड़ों को हम नहीं काट सकते; यदि अतीत की छत्रछाया हमारे ऊपर न हो तो हम खोखले रह जायेंगे। यद्यपि कई कारणों से मैं अंग्रेजी का प्रशंसक हूं परन्तु यह नहीं कह सकता कि हमारे यहां के लोग अपनी जड़ें अंग्रेजी में पैदा करें। ऐसा नहीं हो सकता और प्रजातंत्र में तो विशेषकर ऐसा नहीं हो सकता। भाषा तो अतीत की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और वह कड़ी संस्कृत से आरंभ हो कर भारत की आधुनिक भाषाओं तक पहुंची है। यह तो एक बात है; दूसरी बात है भविष्य की, जो कि विज्ञान द्वारा प्रभावित होगा? इसे आप युगधर्म भी कह सकते हैं। मैं नम्रतापूर्वक यह बाताना चाहता हूं कि जब तक भविष्य में आप किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लेंगे, विज्ञान आदि के बारे में अभी भारतीय भाषाओं से कुछ न बन पड़ेगा। निस्सन्देह हमारी भाषायें प्रगति करेंगी और प्रगति भी तीव्र गति से होगी—मुझे आशा है उनमें अनेक पुस्तकें लिखी जायेंगी और बहुत कुछ विकास होगा। वस्तुतः उच्च-स्तरीय विज्ञान का अनुवाद नहीं किया जा सकता—कृत्रिम शब्दों से उसका आशय ठीक तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता।

अतः आज भारत का वास्तविक संघर्ष, अतीत के सम्बन्धों तथा वर्तमान की आवश्यकताओं के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का है—भाषा की समस्या तो उस संघर्ष का एक साधरण सा भाग है। मूलभूत संघर्ष तो यही है। मैं नहीं जानता इसका अंतिम परिणाम क्या होगा।

पिछली बार मैंने एक महान लेखक व वैज्ञानिक के दो संस्कृतियों के बारे में एक भाषण का हवाला दिया था। उन्होंने इंग्लैण्ड के बारे में बताया और कहा कि वहां दो संस्कृतियां हैं अर्थात् साहित्यिक संस्कृति और आधुनिक विज्ञान की संस्कृति। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष इंग्लेंड तक में है। जब ऐसा संघर्ष इंगलैंड में भी विद्यमान है तो हमारे देश में तो क्यों कर न हो, जो अभी विज्ञान के प्रांगण में पदार्पण कर ही रहा है। हम विज्ञान की बातें करते हैं किन्तु हम उस दुनिया से दूर हैं। एक धनवान कपड़े का कारखाना खरीद कर अपार धन कमा सकता है—किन्तु उद्योग

[श्री जवाहरलाल नहरू]

की तो उसे कोई समझ नहीं होती। वह विशेषज्ञों को नौकर रख सकता है किन्तु उसे विज्ञान का तो कुछ ज्ञान नहीं होता ।

अतः आज संसार में यही आधारभूत संघर्ष चल रहा है। हम अतीत पर गौरव करते हैं किन्तु यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें वर्तमान की वास्तविकताओं को अपनाना होगा। अतीत के सहारे तो हम जीवित नहीं रह सकते ; जब तक हम विज्ञान की प्रगति को अतीत से समन्वित नहीं करते, तब तक हम पनप नहीं सकते। यह तो भविष्य ही बतायेगा कि हम कहां तक उस प्रकार का समन्वय और सामंजस्य स्थापित कर पाये हैं। परन्तु मुझे आशा है कि यह हो कर रहेगा ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अतः भाषा के सम्बन्ध में हमें उदार नीति अपनानी चाहिये। क्योंकि यदि हम कठोरता को बरतेंगे तो उसी क्षण से हमारा विरोध शुरू हो जायगा और कठिनाइयां खड़ी ही जायेंगी। यदि हम सही ढंग से चलेंगे तो हम न केवल भाषा ही की समस्या को हल कर लेंगे, बल्कि पुरातन तथा नवीन संस्कृतियों के बीच उचित सामंजस्य भी बना पायेंगे।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिनसे मेरा सम्बन्ध था अतः उनके बारे में स्पष्टीकरण कर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं ।

इस समिति के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं। संविधान सभा में मैंने चाहे जो कुछ कहा हो, जिसका कि यहां उल्लेख किया गया है, लेकिन जब से संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया है मैं इसका समर्थक हो गया हूं। यह प्रश्न तय हो गया है और हम सहमत हैं कि यह राष्ट्रभाषा है। केवल इस बारे में ही तर्क उठाया गया है कि—कितनी जल्दी इसे लागू किया जाये तथा किस प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिये। भाषणों से प्रकट होता है कि इस बारे में विभिन्न मत हैं। हिन्दी और अंग्रेजी के बारे में प्रधान मंत्री ने उन्हें बता दिया है। विस्तृत बातों में न जाकर मैं पंजाब की बात लेता हूं

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने अपने भाषण में कहा था कि मुझे जानकर दुःख हुआ कि पंजाब में यह भी स्थिति नहीं है जो कि राजा रणजीत के समय थी। मैं उनके शब्दों को रख रहा हूं। उन्होंने कहा था कि :

> "जो स्थिति भाषा के सम्बन्ध में राजा रणजीत सिंह के समय थी, जो स्थिति अंग्रेजी शासन काल में थी वही स्थिति पुनः आनी चाहिये।"

इससे उनका क्या अभिप्राय है यह मैं नहीं समझ सका। अगर उनका अभिप्राय यह है कि उन दिनों पंजाबी नहीं थी तो मैं कहूंगा कि हिन्दी भी नहीं थी। उन दिनों प्रशासकीय भाषा फारसी थी। अगर राजा रणजीत सिंह ने अधिक समय तक राज्य किया होता तो वह भाषा बदलते। हम भी भाषा बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। १९५० में हमने भाषा बदलने का निश्चय किया था और कहा था कि १९६५ से यह बदल जायेगी। देखिये क्या होता है। यह कोई

†मूल अंग्रेजी में